

न्यायालय डिजीजनल कमिशनर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :डॉ. राजेश शर्मा, आई.ए.एस.,

अवमानना प्रार्थना पत्र(विविध प्रकरण) संख्या 02/2021,जीसीएमएस नं. 2020/00314
राजस्व अपील संख्या 87/2020 आमजनता उजला बनाम ग्राम पंचायत उजला वगैराह

<u>प्रार्थीगण</u>	<u>बनाम</u>	<u>अप्रार्थीगण</u>
1. भंवरदान पुत्र रावतसिंह चारण		1. आशीष मोदी, जिला कलेक्टर
2. भूराराम पुत्र गोविन्ददान चारण		जैसलमेर
3. पदम प्रकाश पुत्र सुमेरदान चारण		2. राजेश कुमार, उपखण्ड अधिकारी
4. बिन्जाराम पुत्र चूनाराम चारण		पोकरण
5. अनिल पुत्र हड्डदान चारण		3. बन्टी राजपूत, तहसीलदार पोकरण
6. गिरधरदान पुत्र वेददान चारण		4. कारी अमीन, मदरसा— उजला
7. रणजीतदान पुत्र लक्ष्मणसिंह		5. अशोकसिंह, सरपंच ग्राम पंचायत
8. नारायणराम पुत्र लालूराम		उजला, जिला जैसलमेर
9. तेजाराम पुत्र मानाराम		
10.आईदान पुत्र मनीराम		
11.किसनाराम पुत्र रेवाराम		
मेघवाल निवासीगण—ग्राम		
उजला तहसील पोकरण जिला		
जैसलमेर।		

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 अवमानना अधिनियम सपटित आदेश 39 नियम
2 ए व्यवहार प्रक्रिया संहिता

उपस्थिति:—1. श्री ओमप्रकाश बूब, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री एन.के.चण्डक, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण संख्या 4 की ओर से
उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 एवं 05 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक 03.06.2021

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त अवमानना प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौरान सुनवाई यह कथन किया कि ग्राम उजला के ख0सं0 39 रकबा 66 बीघा 10 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन गोचर में से 03 बीघा भूमि एवं ख0सं0 57 रकबा 179 बीघा 5 बिस्वा गैर मुमकीन गोचर में से 02 बीघा भूमि 05 बीघा भूमि का आवंटन जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा दिनांक

01.11.2007 मदरसा महमुदिया तजबीदुल कुरान संस्था को राज0 भू राजस्व (स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय एवं सार्वजनिक प्रयोग के अन्य भवन निर्माण अनाधिवासित राजकीय भूमि का आवंटन), नियम 1963 के अन्तर्गत किया गया था। एवं ऐसे किये गये आवंटन के लिये गोचर की भूमि हेतु किसी भी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति हेतु आदेश नहीं किया था।

2. प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त आदेश गलत व गैर कानूनी होने की वजह से प्रार्थीगण की तरफ से इस आदेश दिनांक 01.11.2007 व इसके क्रम में दिनांक 5.4.2008 को धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत निरस्त करवाने की कार्यवाही राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय बाडमेर के समक्ष की गई। उक्त अपील में जिला कलेक्टर, जैसलमेर एवं तहसीलदार पोकरण दोनों ही पक्षकार हैं जिनकी उपस्थिति में दिनांक 21.11.2017 को उक्त आवंटित भूमि के लिये स्थगन आदेश जारी करते हुए भूमि के लिये मौके की व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत आदेश पारित किया गया था। जो आज दिन भी प्रभावी है एवं वर्तमान में अपील में सुनवाई क्षेत्राधिकार परिवर्तन हो जाने के कारण न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन एवं सुनवाई की दिनांक 27.4.2021 है।
3. प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त अपील में स्थगन आदेश के चलते अप्रार्थी संख्या 05 कारी अमीन जो मदरसा महमुदिया तजबीदुल कुरान संस्था, उजला का प्रबन्धक है। इस भूमि पर निर्माण कार्य करने पर अमादा है और इस हेतु नीवें खोदनी शुरू कर दी है निर्माण कार्य करने की सम्पूर्ण तैयारियां कर ली है एवं निर्माण करने पर अमादा है तथा तमाम कार्य सार्व0 निर्माण विभाग के मार्फत करवाया जा रहा है व सरकारी राशि को खर्च किया जा रहा है जो पूर्ण रूप से गैरकानूनी है। राज्य सरकार के सभी विभागों को अदालत के आदेश की पालना सुनिश्चित करना आवश्यक है परन्तु वे राजनैतिक दबाव में आकर नियमों की पालना किये बिना ही व न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए विवादित भू-भाग पर निर्माण कार्य करवाना चाहते हैं। इस हेतु उनके द्वारा तमाम अप्रार्थीगण को ऐसे निर्माण कार्य को नहीं करने व रोकने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था
4. प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि न्यायालय के आदेश के बावजूद ऐसा करने करने के कारण प्रार्थीगण को ऐसे निर्माण निर्माण को लेकर

अत्यधिक रोष है एवं किसी भी समय यह विवाद आगे भी बढ़ सकता है। गैर मुमकीन गोचरण की भूमि पर किसी भी प्रकार का आवंटन कानूनी तौर पर नहीं किया जा सकता है। और गलत रूप से किये गये आवंटन को अपील न्यायालय ने रोकने करने का आदेश पारित कर रखा है उसके बावजूद भी ऐसे गोचर के भू-भाग पर निर्माण कार्य किया जा रहा है जो पूर्ण रूप से गलत व विधिविरुद्ध है जिसे अविलम्ब रोका जाना आवश्यक है।

5. प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि राज0 सरकार ने इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर रखी है कि गोचर भूमि को क्षतिपूर्ति किये बिना उस भूमि का उपयोग नहीं बदला जावेगा। और माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने भी समय-समय पर निर्णय दिये गये हैं जिसमें गोचर की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को एवं क्षतिपूर्ति किये बिना किये गये आवंटन को अवैध माना है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण जो कि स्वयं राज्य के उच्च पदों पर आसीन हैं, उन्हें न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, उन्हें न्यायालय के आदेश की अवहेलना किये जाने पर दण्डित किया जाना एवं उनकी सम्पति जब्त किया जाना कानूनन व न्यायसंगत होगा।
6. प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दिनांक 12.04.2021 को दौरान सुनवाई एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का भी पेश करते हुए कथन किया कि उपरोक्त प्रकरण की विवादित भूमि ग्राम उजला के खसरा संख्या 39, 47, 57 रकबा 220 बीघा 9 बिस्वा पर किये जा रहे निर्माण एवं अतिक्रमण को हटाने बाबत माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने डी0बी0 सिविल रिट पीटिशन संख्या 5190/20221 कमलसिंह बनाम राज0 राज्य प्रस्तुत हुई थी जिसमें दिनांक 8.4.2021 को आदेश पारित किया (निर्णय की प्रति पेश की) जिसके अनुसार माननीय न्यायालय ने जिला कलेक्टर जैसलमेर, तहसीलदार पोकरण इत्यादि को पाबन्द किया है कि उपरोक्त खसरान की भूमि पर जो भी निर्माण कार्य व अतिक्रमण है उनको हटाने की कार्यवाही करें। परन्तु अप्रार्थीगण उक्त आदेश के बावजूद भी ऐसे गैर कानूनी निर्माण कार्य को हटाने बाबत कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं बल्कि राजनैतिक प्रभाव में आकर अनेदखा कर रहे हैं। उक्त अवैध निर्माण कार्य को रोकने के लिये अप्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं है। ऐसे में पुलिस की मदद से रूकवाने के लिये पुलिस को

आदेशित किया जाना न्यायसंगत होगा। अतः ग्राम उजला के ख0सं0 39,47, 57 के अतिक्रमियों की सूची मंगवाई जावे एवं भविष्य में उपरोक्त खसरान की भूमि पर अवैध निर्माण नहीं हो, इस हेतु व्यक्तिगत तौर पर उन अधिकारियों को पाबन्द किया जावे।

7. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को न्यायालय के आदेश की अवमानना का दोषी मानते हुए सिविल कारावास से दण्डित किया जावे एवं साथ ही अप्रार्थीगण की सम्पत्ति को कुर्क किया जावे व पुलिस प्रशासन को आदेशित किया जावे कि वे विवादित भू-भाग पर कोई निर्माण कार्य नहीं होने देवे।
8. प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों की पुष्टि के समर्थन में विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय नजीरें पेश की गई यथा (1994)4 एससीसी, 673, (2012) 5 एडीजे 15 (2012) एआईआरसीसी 2692 (2012) 5 एआईआईएलजे 405 (2012) 94 एएलआई 56, (2012)2 एआरसी 767 (2013) 1 सीआईवीसीसी 693, (1993) 3 एएलटी 530, (1994)1 एपीएलजे 211, (1993) 2 एपीएलजे 473, (1994)1 सीआईवीसीसी 241, (1994) 1 सीयूआरएलजे (सीसीआर) 451, (1994) 1 एलजेआर 463, एआईआर 1997 , सीओए 5 आफ 1988, डी/22.2.96
9. अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 3 एवं 5 को उक्त प्रकरण के प्रार्थीगण अधिवक्ता की ओर से जरिये रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाये गये। उक्त नोटिस की प्राप्ति यानि डाक विभाग की ओर से जारी रजिस्टर्ड रसीद एवं डाक विभाग की डिलीवर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसे अवमानना प्रकरण की जानकारी उपरोक्त अप्रार्थीगण को होने सम्बन्धी तथ्य/साक्ष्य पर्याप्त माने जाते हैं परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 3 एवं 5 को उक्त अवमानना पत्र की जानकारी हो जाने के बावजूद वे न तो स्वयं उपस्थित हुए एवं न ही उनकी ओर से अवमानना प्रार्थनापत्र को प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में उनकी सुनवाई/जवाब प्रस्तुत करने का अवसर बन्द/समाप्त किया जाता है।
10. तत्पश्चात अप्रार्थीगण संख्या 05 की ओर से उपस्थित योग्य अधिवक्ता ने दिनांक 12.04.2021 में लिखित में प्रार्थना पत्र निरस्त करने अवमानना याचिका एवं याचिका का जवाब प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया कि कुल 11 प्रार्थीगणों ने बिना किसी अधिकारिता के कुल अप्रार्थीगणों के विरुद्ध यह अवमानना याचिका अन्तर्गत

धारा 12 अवमानना अधिनियम व आदेश 39 नियम 2 ए सीपीसी के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 19.3.2021 को पेश की है। उक्त याचिका में लगाये गये आरोपों के अनुसार अपील न्यायालय ने दिनांक 21.11.2017 को विवादग्रस्त 05 बीघा भूमि के विषय पर मौके की एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया था।

11. अप्रार्थीगण संख्या 5 के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि न्यायालय के आदेश की अवमानना याचिका सुनने का क्षेत्राधिकार केवल मात्र उच्च न्यायालय को एवं श्रीमान संभागीय आयुक्त या अन्य किसी न्यायालय को उसके स्वयं के आदेश की अवमानना के सम्बन्ध में दण्डित करने का आदेश देने का अधिकार नहीं है। जो कि धारा 10 में स्पष्ट किया हुआ है:—

“Power of High Court to punish contempts of subordinate Courts- Every High Court shall have and exercise the same jurisdiction, power and authority, in accordance with the same procedure and practice, in respect of contempts of Courts subordinate to it as it has and exercises in respect of contempts of itself:

12. इसके अतिरिक्त प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता ने दिनांक 19.3.2021 को यह अवमानना याचिका पेश की थी तथा दिनांक 22.3.2021 को इसी विषय वस्तु को लेकर एक पीआईएल सी.डब्लू/5190/2021 कमलसिंह बनाम राज0 राज्य माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में पेश की जिसका निस्तारा दिनांक 8.4.2021 को किया जिसके अनुसार जिला कलेक्टर कार्यालय में पीएलपीसी सैक्शन के तहत वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में सुनवाई करने का माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिये हैं। इस प्रकार कथित अतिक्रमण के विषय में दो अलग-अलग जगह सुनवाई किया जाना न्यायोचित नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश सम्भागीय आयुक्त की तुलना में उच्चतर न्यायालय का आदेश ज्यादा है। इसलिये यह याचिका तुरन्त प्रभाव से निस्तारित/ खारिज फरमाई जावें। कथनों के समर्थन में विभिन्न न्यायालयों द्वारा जारी निर्णय नजीरें उल्लेखित की है।

13. अप्रार्थीगण संख्या 5 के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा धारा 12 अवमानना अधिनियम सपठित धारा आदेश 39 नियम 2 ए व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार पेश किया है जो न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में

नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी पक्ष ने यह नहीं बताया है कि किस प्रकार जानबूझकर अप्रार्थीगणों ने न्यायालय के आदेश की अवमानना कब व किस प्रकार से किस रूप में की है। इसलिये यह याचिका 2ए के तहत पोषणीय नहीं है।

14. पूर्व में दिनांक 21.11.2017 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर की ओर से पारित स्थगन आदेश एकपक्षीय जारी किया गया था। प्रार्थीगण यह याचिका आदेश 39 नियम 2 ए सीपीसी के तहत होना बता रहा है। जिसमें बिना अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये धारा 39 नियम 3 सीपीसी में कुछ शर्तों के साथ एकपक्षीय आदेश दिया जा सकता/जारी किया जा सकता है। परन्तु उपरोक्त धारा 39 नियम 3ए के प्रावधानों की पालना आज तक नहीं की गई है तथा आदेश 39 नियम 3ए के अनुसार यह याचिका 30 दिवस में तय होनी चाहिये लेकिन न्यायालय ने ऐसा नहीं किया। प्रार्थी पक्ष में अवमानना याचिका में कुल 6 लोगों के विरुद्ध पेश की है जिसमें अप्रार्थी संख्या 5 के अलावा अन्य किसी को भी इस याचिका के नोटिस आज तक तामील नहीं करवाये है। मुख्य अपील में 04 पक्षकार है जबकि याचिका में कुल 6 पक्षकार बनाये गये है जो अपील में पक्षकार नहीं है उनके विरुद्ध यह अवमानना याचिका न तो कार्यालय दर्ज कर सकता है और न ही विचारण कर सकते है। इस प्रकार अवमानना याचिका में स्थगन आदेश की सूचना याचिका पेश होने की दिनांक 19.03.2021 से पूर्व एवं आज तक उत्तरदाता अप्रार्थी के सिवाये अन्य अप्रार्थीगणों को दी ही नहीं गई। इस कारण से सम्पूर्ण याचिका खारिज करने योग्य है।

15. अप्रार्थीगण संख्या 5 के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि पूर्व में राजस्व अपील प्राधिकारी, द्वारा दिनांक 21.11.2017 को कुल 5 बीघा भूमि के मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। जो अस्पष्ट है। सर्वप्रथम प्रार्थी पक्ष में अपील पेश होने के दिन मौके की भौतिक स्थिति क्या थी, के बारे में ना तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य दी है और ना ही अभिवचन दिये है और जानबूझकर मौका की रिपोर्ट तलब नहीं करवाई तथा अवमानना याचिका पेश होने की दिनांक 19.3.2021 तक मौके पर क्या बदलाव/रददोबदल किया गया जिसके कारण अवमानना हुई। मौके पर अप्रार्थीगणों ने किस प्रकार निर्माण किया यह अभिवचन भी नहीं है और उक्त स्थगन केवल आगामी दिनांक 18.12.2017 तक था। अप्रार्थी के अनुसार वर्ष 2007 में समस्त प्रकार से विधिक प्रक्रिया अपनाकर एक विधिक संस्था— मदरसा स्कूल के रूप में स्थापित हो चुकी थी

तथा इस पर सरकारी सहयोग व अन्य सहयोग से स्कूल संचालन सम्बन्धित निर्माण वर्षों पूर्व हो चुका था। ऐसे में प्रार्थी की अवमानना याचिका अस्वीकार किये जाने योग्य है।

16. अप्रार्थीगण संख्या 5 के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि वादग्रस्त भूमि जिला कलेक्टर द्वारा एक विधिक संस्था को वर्ष 2007 में आवंटित की तथा मौके पर पिछले 12 वर्षों से विधिवत तरीके से स्कूल का संचालन किया जा रहा है। गोचर की भूमि हेतु किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति करने का निर्णय राज्य सरकार का है जिसके लिये अप्रार्थी दोषी नहीं है। अप्रार्थी संख्या 5 की संस्था के अतिरिक्त वर्ष 1995 में राजकीय स्कूल के लिये लगभग 05 बीघा भूमि पूर्व में आवंटित हो चुकी है। प्रार्थी/अपीलान्त के द्वारा दिनांक 1.11.2007 के आदेश को लगभग 13 वर्षों पश्चात चुनौती दी गई है और अपीलान्त को यह अपील प्रस्तुत करने का क्या अधिकार है उस सम्बन्ध में कोई कोई दस्तावेज बताये और न ही अपनी आधिकारिता बताई है। केवल मात्र धार्मिक उन्माद फैलाने के योजना के तहत यह अपील पेश की गई है। इसके अतिरिक्त स्थगन आदेश आज तक कायम है ऐसा न तो याचिकाकर्ता ने बताया और न ही दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया है। प्रार्थी/अपीलान्त के द्वारा यह सही तथ्य न्यायालय से छुपाया कि पिछले 12 वर्षों से स्कूल के लिये निर्मित भवन में स्कूल का संचालन लगातार किया जा रहा है जो कि आवासीय स्कूल भी है।

17. अप्रार्थीगण संख्या 5 के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि प्रार्थी अपने खर्चे से मौका कमिश्नर से जाँच करवाकर उसकी मौका रिपोर्ट पेश करावे। पूर्व में जारी स्थगन आदेश की दिनांक के बाद से कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया गया है। राज्य सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से कुछ शर्तों के साथ चारागाह जमीन को कुछ निष्चित उद्देश्य के लिये आवंटित करने के आदेश जारी कर रखा है। अप्रार्थी संख्या 5 की संस्था स्कूल को समस्त प्रकार से विधिक प्रक्रिया अपनाकर आवंटित की गई है उसके पक्ष में पूरी जमीन के मालिकाना हक का दस्तावेज पट्टा विलेख है जो दिनांक 30.5.2008 को पंजीकृत हो रखा है। ऐसी दशा में माननीय सर्वोच्च न्यायालयों एवं अन्य उच्च न्यायालयों का स्पष्ट मत है कि पंजीकृत दस्तावेज का निरस्तीकरण केवल मात्र सिविल न्यायालय ही कर सकता है।

18. अप्रार्थीगण संख्या 5 के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि वर्तमान में मौके पर कुल 400 बीघा भूमि के लगभग गोचर भूमि उपलब्ध है तो ऐसी अवस्था में क्षतिपूर्ति का विचारण इस हद तक किया जा सकता है और अप्रार्थी निमयानुसार क्षतिपूर्ति के विषय पर सहयोग की भूमिका में तत्पर रहेगा। अप्रार्थी संख्या 5 की संस्था मदरसा भवन व खेल मैदान की स्थापना हेतु प्रतिफल 60,000 रुपये के एवज में दी गई हैं। प्रार्थी पक्ष को अप्रार्थी के अधिकारों को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 5 के अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों की पुष्टि के समर्थन में विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों की निर्णय नजीरे अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई 1991 एआईआर (एससी)2176, 2019(3)सिविल कोर्ट केसेज 0759, (1)2002 एआईआर (एससी) 2215, (2)2020 सिविल कोर्ट केसेज 0385, 2017 अपेक्स कोर्ट जे 0188, 2018 (2)डीएनजे 385, 2016 एआईआरराज, 95, 2018 (1)सिविल कोर्ट कैसेज 0232, 2016 (4)डब्लूएलएन. 249, 2013(1)डीएनजे 278, 2008(2)डीएनजे735, 2010 एआईआर (एससी) 3043, 2003 सिविल कोर्ट केसेज 0648

अन्त में उनके द्वारा यह कथन किया कि उपरोक्त सभी आधारों पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अवमानना याचिका सारहीन होने से खारिज की जानी चाहिये।

19. हमने प्रार्थीगणों के विद्वान अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता, अधिकारीगण द्वारा किये गये कथनों/बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों/निर्णय नजीरों इत्यादि का विधि की दृष्टि से परीक्षण किया गया। अवमानना प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित मूल अपील में न्यायालय की ओर से पूर्व में जारी स्थगनादेश एवं तत्पश्चात आगामी पेशी की आदेशिकाओं का भी अवलोकन किया गया। इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिकथनों /दस्तावेजों/माननीय सर्वोच्च न्यायालय/अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न याचिकाओं में दिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में एवं विधि के बिन्दू अनुसार जब किसी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया जाता है और स्थगन आदेश जारी होने के पश्चात आगामी तारीख पेशी में किसी कारणवश उसका निरन्तर रूप से अंकन नहीं होना/नहीं बढ़ाया जाना सम्भव नहीं होता है तो भी वह स्थगन आदेश प्रभाव में रहता है, जब तक कि उक्त स्थगन आदेश को विधि अनुसार सम्बन्धित न्यायालय के द्वारा

नया आदेश जारी कर निरस्त नहीं कर दिया जाता है। उक्त तथ्य अवमानना प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित मूल अपील में पारित स्थगन आदेश पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं।

20. अवमानना याचिका में प्रार्थीगणों के अधिवक्ता द्वारा उक्त स्थगन आदेश बाबत न्यायालय आदेश की अवमानना करने सम्बन्धी जो तथ्य अंकित किये गये हैं, उनके समर्थन में कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं यथा कि जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक स्थगन आदेश पारित करने से पूर्व मौके की स्थिति किस रूप में संधारित हो रखी थी तथा स्थगन आदेश जारी करने पर किस रूप में वह किस स्तर पर स्थगित की गई तथा स्थगन आदेश जो दिनांक 21.11.2017 को जारी हुआ था उक्त दिनांक से लेकर आज दिनांक तक मौके पर वर्णित स्थल पर क्या-क्या नवनिर्माण अथवा नवीनता आई है, मात्र यह उल्लेखित/कथन कर दिया जाना कि अप्रार्थीगण मौके पर निर्माण कार्य कर रहे हैं और स्थगन आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, से किसी पक्षकार के विरुद्ध अवमानना सम्बन्धी कार्यवाही नहीं की जा सकती है।
21. इसके अतिरिक्त प्रार्थीगणों की ओर से ग्राम उजला के उक्त खसरान भूमि के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में पीआईएल सी.डब्लू/5190/2021 कमलसिंह बनाम राज0 राज्य माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर पेश किया जाना तथा उसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 8.4.2021 को आदेश प्रसारित करते हुए वादग्रस्त भूमि पर हुए अतिक्रमणों को चिन्हित करते हुए उस पर कार्यवाही करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिये गये हैं।
22. इस प्रकार प्रस्तुत उपरोक्त अवमानना प्रार्थना पत्र के संदर्भ में न्यायालय हाजा के द्वारा समस्त परिस्थितियों एवं विधि की दृष्टि से गहनता से परीक्षण करने के उपरान्त हमारे मत में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है। निर्णय दिनांक 03.06.2021 को सुनाया गया। प्रकरण निर्णित होकर दर्ज नम्बर से कम किया जावे।

(डॉ. राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिशनर,
जोधपुर